☎ 0141-2222355

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

(समेकित रोग निगरानी परियोजना(आई.डी.एस.पी.)

क्रमांकःआई.डी.एस.पी. / 09 / दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान।

विषयः— Influenza A (H1 N1) के संबंध में चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में समस्त जिला चिकित्सालयों पर Influenza A (H1 N1) के संदिग्ध रोगियों के ईलाज हेतु पृथक OPD एवं पंजीकरण (अलग रजिस्टर में) तथा Isolation हेतु पृथक शैय्याओं की व्यवस्था करें तथा संक्रमण रोकने हेतु PPE एवं Infection control guidelines की पालना सुनिश्चित करें। साथ ही Sample collection हेतु दी गयी Guidelines के अनुसार व्यक्तिशः जयपुर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी निर्देश दे कि वे Guidelines के अनुसार 24 घण्टे के अन्दर Sample जिला स्तर पर भिजवाये। साथ ही संदिग्ध रोगियों को समय पर Critical care हेतु ICU में भर्ती करें। जिन लोगों का Sample collection एवं Critical care में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है वे तुरन्त संबंधित Medical college से सम्पर्क कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इस हेतु आवश्यक सामग्री PPE(निदेशालय से प्राप्त करे), VTM आदि की MRS के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करावें। संदिग्ध व्यक्ति की सूचना Sample लेकर राज्य नियंत्रण कक्ष को तुरन्त भिजवाए।

इसके अतिरिक्त सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दें कि वे जिला शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क कर विद्यालय, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को Guidelines को हिन्दी में रूपान्तरित कर उपलब्ध करावें तथा इसके प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

निदेशक(जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःआई.डी.एस.पी / 09 / 2250 दिनांक 07/11/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. अति. निदेशक(ग्रा. स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,जयपुर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर